न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 122/2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक –24/11/2025
निर्णय दिनांक –24/11/2025

अनवान

1 त्रिभूवन पिता नारायणलाल निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम लसानी पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 818, 819 में खातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातों में प्रार्थी का नाम ञिभुवन पुत्र नारायणलाल दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी त्रिभुवन पिता नारायणलाल शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम लसानी के खाता संख्या 818, 819 में ञिभुवन पुत्र नारायणलाल दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु ग्राम पंचायत लसानी के प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी का नाम त्रिभुवन पिता नारायणलाल है। अतः ग्राम लसानी के खाता संख्या 818, 819 में ञिभुवन पुत्र नारायणलाल के बजाय त्रिभुवन पिता नारायणलाल दर्ज किया जाने की अनुशंषा की गई।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए ग्राम लसानी के खाता संख्या 818, 819 में ञिभुवन पुत्र नारायणलाल के स्थान पर त्रिभुवन पिता नारायणलाल नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तद्नुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहकमसिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)